लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/अ/15/2007/1063 / भोपाल,दिनांक 26/06/07

//आदेश//

शिक्षक/प्रधान अध्यापक मा.वि. पद से व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा अनुसार पूर्व में **नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पदोन्नति से वंचित रहे (छूटे हुये पदोन्नति प्रकरणों के संदर्भ में)** निम्नांकित शिक्षकों/प्रधान अध्यापकों को व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर वेतनमान रू. 5500–175–9000 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाकर शासन एकलनस्ती कमांक 346/07 दिनांक 20.06.07 पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के कम में उनके नाम के सम्मुख कालम कमांक 7 में अंकित संस्था में पदस्थ किया जाता है :–

स.क्र.	शिक्षक पद की वरिष्ठता दिनांक	शिक्षक का नाम एवं कार्यरत संस्था	जिले का नाम	जाति	स्नातकोत्तर का विषय	पदांकित संस्था	वरिष्ठता दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20/09/73	श्रीमती प्रीति मराठे, उश्रेशि, शा. म.ल.बा. कन्या उमावि मुरार, ग्वालियर	ग्वालियर	सामान्य	अर्थशास्त्र	शा.क.उ.मा.वि. ठाटीपुर ग्वालियर	15.03.07
2	31/12/73	श्री जितेन्द्र कुमार डोषी, प्रअ, शा. मावि धुंधडका, मन्दसौर	मन्दसौर	सामान्य	अर्थशास्त्र	शा.क.उ.मा.वि. पिपल्या स्टेशन मंदसौर	15.03.07
3	18/10/97	श्रीमती ऑड़ी ओनिला बालों, शिक्षिका, शा. मावि डीईएफ लाइन, रतलाम	रतलाम	अजजा	हिन्दी	शा.उ.मा.वि.जवाहर रतलाम	15.03.07

2/ उपरोक्तानुसार पदोन्नत व्याख्याताओं को पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पदोन्नत होने वाले शिक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच/अनुशासनातमक कार्यवही या ऐसी शास्ति जो उनकी पदोन्नति पर प्रभाव डालती हो तो नहीं है। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उन्हें पदोन्नत पद के लाभ हेतु भारमुक्त न किया जाकर संचालनालय को वस्तुस्थिति के साथ अपने अभिमत सहित तत्काल अवगत करावें।

3/ पदोन्नत व्याख्याता के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख संबंधित के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें कि जिस विषय में व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया गया है उस विषय में संबंधित द्वारा विभागीय अनुमति प्राप्त कर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यताधारी है, जिस वर्ग से पदोन्नत हुआ है उसी प्रवर्ग का सदस्य है साथ ही उनके नाम के सामने जो वरिष्ठता दिनांक दर्शित है उसी वरिष्ठता दिनांक के बाद के तो नहीं है।

4/ पदोन्नत व्याख्याता के सेवा अभिलेख से इस बात की पुष्टि कर ली जायें वे सभी शिक्षक/प्र.अ. पद पर ही कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति उच्च श्रेणी शिक्षक की वरिष्ठता के आधार पर ही हुई हैं। अन्य पद की वरिष्ठता से इस पदोन्नति का कोई संबंध नहीं हैं।

5/ उपरोक्तानुसार पदोन्नत व्याख्याताओं को कालम कमांक 8 में उल्लेखित दिनांक 15.03.07 से पत्र वरियता "काम नहीं दाम नहीं" के सिद्धांत अनुसार देय होकर पदोन्नति मान्य होगी। व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ उनके द्वारा व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा ।

6/ पदोन्नत व्याख्याता के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ली जाए कि वह स्कूल शिक्षा विभाग का ही शिक्षक है। अन्य विभाग यथा आदिम जाति कल्याण विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग आदि से अर्न्तविभागीय स्थानान्तरण हुआ हो उन शिक्षकों की वरिष्ठता शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी । यदि किसी पदोन्नत शिक्षक के संबंध में उपरोक्त शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उनकी पदोन्नति निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव अभिलेखित साक्ष्य सहित संचालनालय को भेजा जावे ।

7/ पदोन्नत व्याख्याताओं में से यदि कोई व्याख्याता की पदोन्नति वर्ष 2003, 2004 एवं 2005 में होना पाई जाती है तो ऐसे व्याख्याताओं को नवीन पदोन्नत स्थल पर कार्य भार ग्रहण करने हेतु कार्य मुक्त नही किया जाकर विधिवत् तत्काल संचालनालय को अवगत कराये ।

8/ पदोन्नत व्याख्याता दिनांक 14 जुलाई 2007 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति पदांकित संस्था में व्याख्याता पद पर देंगे। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर इनकी पदोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

9/ पदोन्नति समिति द्वारा म.प्र.शासन ,सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 11 जून 2002 में दिये गये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 में उल्लेखित आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक/स्था.2/अ/15/2007/ 1064
भोपाल ,दिनांक 26/06/07

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. निज सचिव, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन अरेरा हिल्स, भोपाल।

5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर/उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, ग्वालियर/मंदसौर/रतलाम की ओर सूचनार्थ ।

7. जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा जिला, ग्वालियर/मंदसौर/रतलाम की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि :–

(अ) उपरोक्तानुसार पदोन्नत शिक्षकों को पदांकित संस्था में कार्यमुक्त करने के पूर्व आदेश में अंकित शर्तो की पुष्टि एवं सत्यापन पदोन्नत आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर करने के उपरांत ही संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने हेतु भारमुक्त करें। आदेश में उल्लेखित शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति पाये जाने पर अभिलेखीय साक्ष्य सहित संबंधित की पदोन्नति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव अपने अभिमत सहित पदोन्नति आदेश. प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से भेंजे।

(ब) पदोन्नत व्याख्याता के पदांकित संस्था में विषयमान से पद रिक्त न होने की स्थिति में पदोन्नत व्याख्याता अपनी उपस्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे। इसके पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी रिक्त पद के मान से इनके पदांकन में संशोधन हेतु समुचित प्रस्ताव 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय में भेंजेगे ।

(स) उपरोक्त पदोन्नत व्याख्याताओं के नाम अथवा उनके समक्ष उल्लेखित संस्था में त्रुटि हो तो जिला शिक्षा अधिकारी इसके संशोधन का प्रस्ताव 15 दिवस की समयावधि में संचालनालय को भेंजे।

8. संबंधित संस्था प्रमुख की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पदोन्नति पश्चात् संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु भार मुक्त किये गये पदोन्नत व्यक्ति को ही संस्था में निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण कराकर इसकी सूचना तत्काल संचालनालय में भेंजे।

9. समस्त संबंधित शिक्षक/प्रधान अध्यापक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में अंकित शर्तो की पुष्टि के उपरांत जैसे ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख द्वारा आपको पदोन्नति पश्चात् पदांकित संस्था हेतु भारमुक्त किया जाता है आप दिनांक **14 जुलाई 2007** के पूर्व अनिवार्यतः पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करें। अन्यथा आपका पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

आयुक्त/लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश